प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 122/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)

तेजशंकर पालीवाल, पूर्व सदस्य झील विकास प्राधिकरण, 15 भेरूघाटी, चांदपोल अन्दर, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकार तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/09/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 24.06.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गांव कदमाल तहसील बड़गांव स्थित सांकडपुरा तालाब के पास निर्माण निषेध क्षेत्र में बन रही होटल निर्माण की स्वीकृति की जानकारी चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को कोई जानकारी/सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/122/25/787–88 दिनांक 12.08.2025 से प्रत्यर्थी को लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ./2005/238 दिनांक 29.08.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 23 दिनांक 24.07.2025 से चाही गई सूचना उपलब्ध रिकार्ड अनुसार किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करा प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 23 दिनांक 24.07.2025 से अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बड़गांव उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ०८-०९-२५ को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर